

**झारखण्ड सरकार**  
**उद्योग निदेशालय**  
**आदेश**

राज्य सरकार के कर्मियों को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ देने संबंधी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या 06/एस0-6(प्रो0)03/2009/2981, दिनांक 01.09.2009 एवं संकल्प ज्ञापांक 1117, दिनांक 03.06.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन, उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय एवं विभिन्न जिला उद्योग केन्द्रों के विभिन्न संवर्ग के कर्मियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से लगातार 10/20/30 वर्षों की सेवा पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 13.02.2019 को आहुत स्क्रीनिंग समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में योग्य पाये गये कर्मियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 7, 8 एवं 9 में अंकित तिथि एवं वेतनमान में ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र0	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	वर्तमान वेतनमान	नियमित नियुक्ति की तिथि	पूर्व में स्वीकृत प्रथम/द्वितीय ए0सी0पी0 की तिथि एवं वेतनमान	देय ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की तिथि/पुनरीक्षित सातवां वेतनमान Matrix Level			अभ्युक्ति
						प्रथम	द्वितीय	तृतीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्री संजीत कु0सिन्हा उ0वि0पदा0	उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची	PB-II-9300-34800 ग्रेड पे0 4600	04.07.97	प्रथम MACP 01.09.08 के प्रभाव से वे0 PB-II-9300-34800, GP-4600	---	द्वितीय 04.07.2017 वेतनमान PB-II-9300-34800 ग्रेड पे0 4800 Level-8	---	
2	श्री रविशंकर प्रसाद उ0वि0पदा0	उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची	PB-II-9300-34800 ग्रेड पे0 4600	23.07.98	प्रथम MACP 01.09.08 के प्रभाव से वे0 PB-II-9300-34800, GP-4600	---	द्वितीय 23.07.2018 वेतनमान PB-II-9300-34800 ग्रेड पे0 4800 Level-8	---	
3	श्री आलोक कुमार उ0वि0पदा0	उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची	PB-II-9300-34800 ग्रेड पे0 4600	30.06.97	प्रथम MACP 01.09.08 के प्रभाव से वे0 PB-II-9300-34800, GP-4600	---	द्वितीय 30.06.17 वेतनमान PB-II-9300-34800 ग्रेड पे0 4800 Level-8	---	
4	श्री सुभाष चन्द्र दास उ0वि0पदा0	जिला उद्योग केन्द्र, गुमला	PB-II-9300-34800 ग्रेड पे0 4600	11.06.97	प्रथम MACP दि0 01.09.08 वे0 PB-II-9300-34800, GP-4600	---	द्वितीय 11.06.17 वे0 PB-II-9300-34800, ग्रेड 4800 (Level-8)	--	
5	श्री रघुबर सिंह उ0वि0पदा0	जिला उद्योग केन्द्र, राँची	PB-II-9300-34800 ग्रेड पे0 4600	22.07.98	प्रथम MACP दि0 01.09.08 वे0 PB-II-9300-34800, GP-4600	---	द्वितीय 22.07.18 वे0 PB-II-9300-34800, ग्रेड 4800 (Level-8)	--	
6	श्री सुदर्शन ठाकुर उ0वि0पदा0	जिला उद्योग केन्द्र, राँची	PB-II-9300-34800 ग्रेड पे0 4600	21.07.98	प्रथम MACP दि0 01.09.08 वे0 PB-II-9300-34800, GP-4600	---	द्वितीय 21.07.18 वे0 PB-II-9300-34800, ग्रेड 4800 (Level-8)	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	श्री रमाकान्त चतुर्वेदी उ०वि०पदा०	जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद	PB-II- 9300-34800 ग्रेड पे० 4600	10.08.98	प्रथम MACP दि० 01.09.08 वे० PB-II- 9300- 34800, GP- 4600	---	द्वितीय 10.08.18 वे० PB-II-9300- 34800, ग्रेड 4800 (Level-8)	---	
8	श्री उस्मान अंसारी परियोजना प्रबंधक, से०नि० 30.06.2012	जिला उद्योग केन्द्र, लोहरदगा	5500-175 9000	06.09.85	प्रथम ACP द० 09.08.99 वे० 5500-175 9000	---	द्वितीय 01.09.08 वे० PB-II-9300- 34800, ग्रेड 4800 (Level-8)	---	
9	श्रीमती ज्योत्सना सरकार, आशुटंकक, सेवानिवृत्त 30.06.2015	जिला उद्योग केन्द्र, लोहरदगा सम्प्रति तदेन राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची	PB-II- 9300-34800 G.P.4200	24.04.80 अपराहन यानि 25.04.80	द्वितीय ए०सी०पी० दि० 25.04.04 वेतनमान 5500-9000 पुनरीक्षित वे० PB-II 9300-34800 G.P.4200	---	---	तृतीय 25.04.10 वे० PB-II 9300- 34800 ग्रेड 4600 (Level-7)	
10	श्री राम नारायण साह, आशुटंकक, सेवानिवृत्त 31.01.2013	जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद	PB-II 9300-34800 G.P.4200	13.12.78	द्वितीय ए०सी०पी० दि० 13.12.02 वेतनमान 5500-9000 दि० 01.01. 2006 को पुनरीक्षित वे० PB-II 9300-34800 G.P.4200	---	---	तृतीय 13.12.08 वे० PB-II-9300- 34800 ग्रेड 4600 (Level-7)	
11	श्री अमरेन्द्र कु० प्रधान लिपिक 01.01.1996 को वेतनमान 4000-6000	जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद	PB-II-9300- 34800, GP- 4200	17.11.87	द्वितीय MACP दि० 01.09.08 वे० PB-II-9300- 34800, GP- 4200	---	---	तृतीय दिनांक 17.11.17 PB-II-9300- 34800 ग्रेड 4600 (Level-7)	
12	श्री कृष्ण मुरारी शरण अम्बष्ठ उच्चवर्गीय लिपिक 01.01.1996 को वेतनमान 4000-6000	जिला उद्योग केन्द्र, गोड्डा	PB-I 5200- 20200 GP- 2400	01.06.91		प्रथम 04.06.16 PB-I- 5200- 20200, ग्रेड 2800 (Level-5)	---	---	लेखा विमुक्ति की तिथि 03.06.16 के एक दिन बाद यानि 04.06.16
13	श्री नन्दलाल राम, क०सा०सहायक	उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची	PB- II 9300-34800 GP-4600	14.10.98	प्रथम MACP दि० 14.10.08 PB- II 9300-34800 GP-4600	---	द्वितीय 14.10.18 वे० PB- II 9300-34800 ग्रेड 4800 (Lable-8)	---	
14	श्री दीनानाथ राय, जीपचालक, सेवानिवृत्त	जिला उद्योग केन्द्र धनबाद	PB-I 5200- 20200 GP-2800	09.05.88	द्वितीय MACP दि० 01.09.08 वे० PB-I 5200-20200 GP-2800	---	---	तृतीय 09.05.18 वे० PB- II-9300- 34800 ग्रेड 4200 (Level-6)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	श्रीमती ओलिव टोपनो, स्वागत सहायक,	जिला उद्योग केन्द्र, राँची	PB-I-5200-20200 GP.-1900	07.05.07	---	प्रथम 07.05.17 PB-I 5200-20200 GP.2000 Levele-3	---	---	
16	मो०कासीम रात्रिप्रहरी, (साक्षर)	उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची	PB-I-5200-20200 GP.-1650	23.11.87	द्वितीयMACP दि० 01.09.08 वे० PB-I 5200-20200, GP-1900	---	---	तृतीय 23.11.17 PB-I 5200-20200 ग्रेड 2000 (LEVEL-3)	
17	सुरेश राम, रात्रि प्रहरी, (अष्टम उत्तीर्ण)	जिला उद्योग केन्द्र, राँची	PB-I 5200-20200 GP.-1650	10.07.96	प्रथम MACP दि० 10.07.08 वेतनमान 2610.-4000 वे० PB-I 5200-20200, GP-1800	---	द्वितीय 10.07.16 वे० PB-I 5200-20200, ग्रेड 1900 (Level-2)	---	
18	मो०शेख रजिउल्लाह रात्रि प्रहरी, (आई०ए०उत्तीर्ण)	जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद	PB-I 5200-20200 GP.-1800	06.07.1998	प्रथम MACP दि० 01.09.08 वे० PB-I 5200-20200, GP-1900	---	द्वितीय 06.07.18 वे० PB-I 5200-20200 ग्रेड 2000 (Level-3)	---	
19	श्रीमती शांति देवी आदेशपाल (सप्तम उत्तीर्ण)	उद्योग निदेशालय झारखण्ड, राँची	PB-I 5200-20200 GP.-1650	20.12.2006	---	प्रथम 20.12.16 वे० PB-I 5200-20200 ग्रेड 1800 (Level-1)	---	---	
20	श्री जतरु उराँव आदेशपाल (सेवानिवृत्त) मैट्रिक अनुत्तीर्ण सेवानिवृत्ति तिथि 30.06.2015	उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची	वेतनमान PB-I 5200-20200 GP.-1650	20.02.86	---	प्रथमACP 09.08.99 वे० 2610-4000	द्वितीय 01.09.08 PB-I 5200-20200 ग्रेड 1900 (Level-2)	---	
21	श्रीमती दशमी जयमाला आदेशपाल (मैट्रिक अनुत्तीर्ण)	जिला उद्योग केन्द्र, राँची	PB-I 5200-20200 GP.-1650	13.07.96	प्रथम ACP दि० 13.07.08 वे० PB-I- 5200-20200, GP-1800	---	द्वितीय 13.07.16 वे० PB-I- 5200-20200 ग्रेड 1900 (Level-2)	---	
22	सुरेन्द्र कु०मांझी आदेशपाल (मैट्रिक उत्तीर्ण)	जिला उद्योग केन्द्र, देवघर	PB-I 5200-20200 GP.-1800	07.12.87	द्वितीयMACP दि० 01.9.08 PB- I- 5200-20200, GP-2000	---	---	तृतीय 07.12.17 PB- I 5200-20200 ग्रेड 2400 (Level-4)	
23	श्री अशोक कुमार रात्रि प्रहरी, (सप्तम उत्तीर्ण)	जिला उद्योग केन्द्र, गुमला	PB-I 5200-20200 GP.-1650	04.11.86	द्वितीयMACP दि० 01.9.08 PB- I- 5200-20200, GP-1900	---	---	तृतीय 04.11.16 PB- I 5200-20200 ग्रेड 2000 (Level-3)	
24	श्री मंसुर आलम, आदेशपाल (पाँचवा उत्तीर्ण)	जिला उद्योग केन्द्र, गुमला	PB-I 5200-20200 GP.-1650	13.06.97	प्रथम MACP दि० 01.09.08, PB-I- 5200-20200, GP-1800	---	द्वितीय 13.06.17 PB- I- 5200-20200 ग्रेड 1900 (Level-2)	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	श्रीमती बिमली देवी आदेशपाल (सप्तम उत्तीर्ण) वेतनमान	जिला उद्योग केन्द्र, दुमका	PB-I 5200-20200 GP.-1650	16.09.97	प्रथम MACP दि001.09.08, PB- I 5200-20200 GP-1800	—	द्वितीय 16.09.17 PB- I- 5200-20200 ग्रेड 1900 (Level-2)	—	
26	श्री रणधीर कुमार सिंह, आदेशपाल (मैट्रिक अनुत्तीर्ण),	उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची	PB-I 5200-20200 GP.-1650	20.12.2008	—	प्रथम 20.12.18 PB-I- 5200-20200 ग्रेड 1800 (Level-1)	—	—	
27	श्री रविन्द्र प्रसाद, जीपचालक	उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची	PB- I 5200-20200 GP-1900	13.06.1998	प्रथम MACP, दि0 01.9.08 वेतनमान— PB- I 5200-20200 GP-2000	—	द्वितीय 13.06.18 वे0 PB-I- 5200-20200 ग्रेड 2400 (Level-4)	—	
28	श्री श्रीमन नारायण उपाध्याय, जीपचालक	उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची	PB- I 5200-20200 GP-1900	17.06.1998	प्रथम MACP, दि0 01.09.08 वेतनमान— PB- I 5200-20200 GP-2000	—	द्वितीय 17.06.18 वे0 PB-I 5200-20200 ग्रेड 2400 (Level-4)	—	

राज्य सरकार द्वारा समूह "घ" के कर्मियों को देय ग्रेड पे की देयता के संबंध में निर्गत संकल्प ज्ञापांक 1859/वि0 दिनांक 02.09.2011 संकल्प ज्ञापांक 447/वि0, दिनांक 22.02.2013 एवं संकल्प ज्ञापांक 805/वि0, दिनांक 04.03.2014 को दृष्टिपथ में रखते हुए दिनांक 01.01.2006 को अनुमान्य ग्रेड पे में वेतन निर्धारण का सत्यापन जिला लेखा पदाधिकारी से नहीं रहने की स्थिति में भी इस शर्त के साथ प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय एम0ए0सी0पी0 स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया कि प्रदत्त एम0ए0सी0पी0 में वेतन निर्धारण के पूर्व उक्त वित्त विभागीय संकल्पों के आलोक में वेतन निर्धारण का सत्यापन संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा जिला लेखा पदाधिकारी से करा लेने के बाद ही प्रदत्त एम0ए0सी0पी0 का वित्तीय लाभ अनुमान्य होगा।

2. उपरोक्त कर्मियों का एम0ए0सी0पी0 का लाभ निम्नांकित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है :-
  - i. संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एम0ए0सी0पी0) दिनांक 01.09.2008 के प्रभाव से लागू है। इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप एक ही संवर्ग के अधीन पुरानी ए0सी0पी0 योजना एवं एम0ए0 सी0पी0 योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतनमान का अंतर विसंगति नहीं मानी जायेगी।
  - ii. उक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित कर्मों का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालय द्वारा भारत सरकार के मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(ए)(1) के अधीन एम0ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत सरकारी सेवक प्रोन्नति / वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप उच्चतर पद/ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारण का विकल्प प्रोन्नति/ वित्तीय उन्नयन की तिथि अथवा अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि से दे

सकते हैं। ऐसे मामले में वेतन एवं वेतन वृद्धि की तिथि का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि0, दिनांक 28.02.2009 के प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।

- iii. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय उत्क्रमण विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत होगा एवं वरीयता से इसका कोई संबंध नहीं होगा। यह नियमित प्रोन्नति के समान नहीं होगा, इसके लिए पद सृजन की आवश्यकता नहीं होगी। संवर्ग में कनीय कर्मी को एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत उच्चतर वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त होने के आधार पर वरीय कर्मी को अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण/वेतन का संरक्षण देय नहीं होगा।
- iv. इस योजना के तहत वित्तीय उत्क्रमण के फलस्वरूप पदधारक के पदनाम वर्गीकरण एवं स्टेट्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। राजकीय उत्सवों, अलंकरण, समारोहों, उच्चतर पदों पर प्रति नियोजन आदि कार्यों के लिए वे अपने मौलिक पद/निम्नतर वेतनमान के अनुरूप ही सुविधा प्राप्त करेंगे। लेकिन उच्चतर वेतनमान (वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन) के आधार पर संबंधित सरकारी सेवक को सरकारी आवास का आवंटन, गृह निर्माण अग्रिम सहित अन्य अग्रिम का लाभ देय होगा।
- v. वेतन सत्यापन के दौरान वित्तीय उत्क्रमण/वेतन निर्धारण के संबंध में किसी प्रकार की विसंगति प्रकाश में आने पर वित्त विभाग का निर्णय अंतिम होगा। देय वित्तीय उत्क्रमण का लाभ तदनुसार सामंजित कर ली जायेगी एवं अधिक भुगतान का मामला प्रकाश में आने पर एक मुश्त वसूल कर ली जायेगी।
- vi. निदेशालय में उपलब्ध सूचना यथा विभागीय कार्यवाही/थाना कांड निगरानी मामले, आरोप आदि के आधार पर उक्त वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया है। भविष्य में यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि किसी कर्मी के विरुद्ध उक्त कार्यवाही लम्बित है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रदत्त वित्तीय उन्नयन का लाभ बिना किसी सूचना के निरस्त कर दी जायेगी तथा प्राप्त वित्तीय लाभ की वसूली एक मुश्त कर ली जायेगी।
- vii. वित्त विभाग, राँची के संकल्प संख्या 2981/वि0, दिनांक 01.09.2009 एवं वित्त विभाग के पत्रांक 1117, दिनांक 03.06.2011 के अन्य सभी प्रावधान/शर्तें उक्त वित्तीय उन्नयन पर यथावत रूप से लागू होंगे।
- viii. वित्त विभाग के पत्र संख्या 1117, दिनांक 03.06.2011 के आलोक में प्रदत्त प्रतिस्थानी ग्रेड पे में कर्मियों को केवल ग्रेड पे का अन्तर देय होगा। वेतन निर्धारण (Fixation) में अन्य कोई लाभ देय नहीं होगा।

(3) उक्त एम0ए0सी0पी0 का लाभ अंतिम रूप से स्वीकृत किया जा रहा है। इसकी सम्पुष्टि/स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं होगी। एम0ए0सी0पी0 के तहत निर्धारित वेतन का सत्यापन का योजना-सह-वित्त विभाग/ जिला लेखा पदाधिकारी से कराने के उपरान्त ही वित्तीय लाभ देय होगा।

(4) योजना-सह-वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 1365/वि0 दिनांक 07.04.2017 में निरूपित प्रावधान के आलोक में अनुशंसित कार्यरत उद्योग विस्तार पदाधिकारी/कनीय सांख्यिकी सहायक/उच्च वर्गीय लिपिक/ निम्न वर्गीय लिपिक (पूर्व पद पत्राचार लिपिक एवं विपत्र लिपिक) से संबंधी शपथ-पत्र प्राप्त कर ली गयी है। एतदर्थ भविष्य में प्रदत्त ACP/MACP में कोई त्रुटि पाए जाने पर आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली कर ली जाएगी। ACP/MACP के फलस्वरूप निर्धारित वेतन का सत्यापन सक्षम स्तर से किए जाने के उपरान्त ही निर्धारित वेतन का भुगतान किया जाएगा।

अतः सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/जिला लेखा पदाधिकारी से वेतन निर्धारण के सत्यापन के पश्चात ही देय लाभ का भुगतान करेंगे। इसकी जिम्मेवारी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी की होगी।

प्रस्ताव पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

ज्ञापांक 1847 / राँची, दिनांक 16-09-2019  
01/उ0नि0/ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0-01/2012  
प्रतिलिपि: महालेखाकार, झारखण्ड, राँची एवं योजना-सह-वित्त विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 1847 / राँची, दिनांक 16-09-2019  
01/उ0नि0/ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0-01/2012  
प्रतिलिपि: सभी कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, झारखण्ड/सचिवालय कोषागार, डोरन्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 1847 / राँची, दिनांक 16-09-2019  
01/उ0नि0/ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0-01/2012  
प्रतिलिपि: सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय, झारखण्ड, राँची/उप उद्योग निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची/महाप्रबन्धक, सभी जिला उद्योग केन्द्र, झारखण्ड एवं सूची में अंकित सभी संबंधित कर्मों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।